न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर

1:-डब्बीबाई पत्नि नरेश साहू

2:- राजकिशोर आत्मज नरेश साहू

दोनों निवासी धुवधट तहसील व जिला नरसिंहपुर ...आवेदकगण

बनाम

1:-धनराज साहू अधिवक्ता आत्मज श्री हाकमसिंह साहू
निवासी पारस विहार जरजोला रोड कन्देली
तहसील व जिला नरसिहपुर

2:- सुरेश साहू आत्मज कुंजीलाल साहू

3:- कोदूलाल आत्मज देवलाल साहू

4:- दिनेश आत्मज स्व.श्री हरकिशन साहू क्रमांक 2 से 4
निवासी धुवधट तहसील व जिला नरसिहपुर

5:- सरोज बाई पत्नि सुदामा प्रसाद शर्मा

6:- अनिल कुमार आत्मज सुदामा प्रसाद शर्मा
क्रमांक 5 व 6 निवासी सिंहपुर बड़ा तह.व जिला नरसिहपुर

7:-हीरालाल आत्मज स्व.मूलचंद साहू निवासी हाउसिंग वोर्ड
कालोनी शंकराचार्य वार्ड कंदेली नरसिहपुर ......अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत 50 म.प्र.भू.रा.सं.

आवेदकगण वर्तमान निगरानी राजस्व मामला क्रमांक 18अ/6 (अ) वर्ष 2011-12 न्यायालय श्रीमान तहसीलदार नरसिहपुर द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 1/2/2018 से पीड़ित होकर निम्नलिखित आधारों पर निगरानी प्रस्तुत है ।

निगरानी के तथ्य

1:-' यह कि अनावेदक क्रमांक 1 धनराज साहू द्वारा आवेदन पत्र धारा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

जिला - नरसिंहपुर

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/नरसिंहपुर/भू.रा./2018/1070

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20/02/2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री लखन सिंह धाकड़ उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। उनके द्वारा बताया गया कि अधीनस्थन्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध एकपक्षीय किए जाने की कार्यवाही अवैधानिक तरीके से की गई है। एक पक्षीय कार्यवाही को निरस्त करने हेतु उनका आवेदन निरस्त करने में भी अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। आलोच्य आदेश तथा अन्य आदेश पत्रिकाओं का अवलोकन किया। विचारोपरांत यह पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक का एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त किए जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन को निरस्त किया जाना न्यायसंगत नहीं है। अतः आलोच्य आदेश निरस्त करते हुए तहसीलदार को यह निर्देश दिए जाते हैं कि वे आवेदक के विरुद्ध की गई एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त करते हुए उन्हें तथा संबंधित पक्षकारों को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरण का विधिवत निराकरण करें। उक्त निर्देश के साथ यह प्रकरण निराकृत किया जाता है। **प्रशासकीय सदस्य**	